



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 नं. 25 के अन्तर्गत स्थापित)

क्रमांक 365/विकास/2023

दिनांक 21/04/23

## कार्यालयीय ज्ञाप

विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) की हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में तैयारी एवं मुद्रण हेतु प्रोफेसर चंद्रशेखर वझलवार, शिक्षा विभाग को सक्षम अधिकारी द्वारा अध्यक्ष/समन्वयक नामित किया गया है।

अध्यक्ष, वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023 संपादक मंडल का गठन करने हेतु प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति जी के सचिव माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागणों/समस्त विभागाध्यक्षगणों/समस्त नियंत्रक अधिकारीगणों की ओर सूचनार्थ।
3. प्रोफेसर चन्द्रशेखर वझलवार, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. संयुक्त कुलसचिव (विकास) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. प्रभारी मीडिया सेल की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट, की ओर सूचनार्थ एवं इस निवेदन के साथ है कि आदेश की प्रति विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल में अपलोड करने का कष्ट करें।
7. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (विकास)